

price and export this commodity and also take adequate measures to reduce the price of gunny bags and ensure quality supply of gunny bags. I also suggest that the Jute Corporation be asked to take appropriate measures to protect the interests of the jute growers by purchasing the jute from the doors of the jute cultivators to avoid distress sale by the farmers, and see that the stitching of the mouths of the gunny bags used for packing potatoes/onions, etc. be properly done by the jute mills so that they last at least for two seasons.

MR. SPEAKER: We come to legislative business. /

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): On a point of order, Sir, under proviso to sub-rule (2) of rule 376, relating to the arrangement of business as shown in the order paper. The proviso provides for a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another items. Please turn your attention to items 13 and 14.

MR. SPEAKER: We have not come to that yet.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: I am on arrangement of business.

MR. SPEAKER: Either you should have raised it in the beginning or you can raise it when we come to items 13 and 14.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Any time it can be raised.

MR. SPEAKER: You can raise it when the House is seized of the matter, either before we start the work or immediately after Question Hour or when we come to items 13 and 14.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Please read the proviso:

"Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of

business and the commencement of another...

MR. SPEAKER: It must relate to that item of business.

SHRI HARI VISHNU KAMATH: Not that item. You do not have enough patience now.

MR. SPEAKER: You can raise it when we come to items 13 and 14.

SHRI HARI BISHNU KAMATH: You may not be in the Chair then.

MR. SPEAKER: That does not matter. Somebody will be in the Chair.

SHRI HARI BISHNU KAMATH: Why not you decide it?

MR. SPEAKER: Legislative Business—Mr. Agarwal.

12.59 hrs.

APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1979

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL). I beg to move.\*

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1979-80, be taken into consideration."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 1979-80, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. SPEAKER: We shall now take up the clauses.

\*Moved with the recommendation of the President.

MR SPEAKER The question is

'That clauses 2 to 4 and the Schedule stand part of the Bill'

The motion was adopted

Clauses 2 to 4 and the Schedules were added to the Bill

Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI SATISH AGRAWAL I move

That the Bill be passed

MR SPEAKER The question is

That the Bill be passed

The motion was adopted

13 hrs

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1979-80 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1978-79 AND RESOLUTION RE FIFTH REPORT OF RAILWAY CONVENTION COMMITTEE—Contd.

MR SPEAKER Shri Durga Chandra will now continue his speech

श्री दुर्गा चन्द्र (कागडा) अध्यक्ष जी मैं पिछले दिन रेलवे लाइनों के मुनास्लिम कर रहा था कि इस समय हमारे देश में 60,693 किलोमीटर रेलवे लाइन है। यदि डबल ट्रैक का भी शामिल कर लें तो 1,03,325 किलोमीटर रेलवे लाइन है। आजादी के बाद बीस साल के अंदर मैं सिर्फ 7097 किलोमीटर नयी रेलवे लाइन बनाई गई है। यदि स्टेट्स के हिसाब से देखा जाये तो मु. पी. में 8750 किलोमीटर रेलवे लाइन है, मध्य प्रदेश में 6395 किलोमीटर लाइन है, बिहार में करीब 5 हजार किलोमीटर लाइन है जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन है और आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश में एक इंच भी रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है। जो भी रेलवे लाइन बहा पर है वह आजादी से पहले की बनी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी रेलवे लाइन का सब्र है, उसके एक्टिवेट बनाए गए हैं, उनका एग्जिक्यूटिव हुआ या नहीं यह आप जानते होंगे मैंने तीन रेलवे लाइनें बताई थी उनमें से किसी न किसी को इस साल जरूर टेकअप किया जाए और उसका निर्माण किया जाये। मुझे खुशी है कि नार्थ ईस्टर्न जॉन में 6 लाइनों की मरुभूमि की गई है, वहां पर रेलवे लाइनों की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्टिवाइजेशन नहीं

होना चाहिए, हमारी डिमांड भी जेन्युइन है, उस पर भी आपकी गौर करना चाहिए। तीन नयी रेल लाइनें—नागल-नलबाड़ा, जमशानगर-पोटा साहब और कालका परमाणु—उनके लिए आपकी धन की व्यवस्था करके निर्माण कार्य प्रारम्भ करना चाहिए।

130 hrs

[MR DEPUTY SPEAKER in the Chair]

उपाध्यक्ष जी पहले जा गाइया दिल्ली से पठानकाट तक चलती थी वह जम्मू तक एक स्टेट ही गई है। इसका बहुत सारा हिमाचल प्रदेश व नागला मंडी और चम्बा जिले का बड़ी मांशुल होती है। इस सिलसिले में मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट की हुई है कि एच. एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाय जोकि पठानकाट तक जाए अगर यह मर्यादा नहीं है तो श्रीनगर एक्स्प्रेस व प्रलाभा कर्मार मेल में कुछ बागीज पठानकाट के लिए लगाई जाये ताकि वहां के लोगों का जो दिक्कत है वह दूर हो सके।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे कन्वन्शन कमेटी, 1977 की रेकमेण्डेशन इस हाउस में रखी गई है ताकि यह मदन उसपर भी विचार कर सके। मैं समझता हूँ कि इस कमेटी की रेकमेण्डेशन से रेलवे डिपार्टमेंट का फायदा हुआ है। इससे रेलवे डिपार्टमेंट का बर्जा घटा है और वह डेवलपमेंट की तरफ लगी गयी है। मैं समझता हूँ यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और मैं अपने मंत्री महोदय का इस क लिये बधाई देना चाहता हूँ। जो एक्स्प्रेस ग्रुप मान कौन्सिल स्ट्रक्चर या जिन्धान फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात की कि रेलवे का जो सरप्लस है उसको किस तरह से एप्रोप्रियेट किया जाय—जैनरल फंड में, और रेलवे के लिये अलग से डेवलपमेंट फंड रखा जाये—इस काम में जो कामयाबी हुई है, उस क लिये व धन्यवाद के पात्र हैं और इस कमेटी की रिपेण्डेन्स को हमने तुरन्त मंजूर कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे में जो तरह-तरह की सुविधाएं वा यद् हैं, उन में कुछ कामयाबी है। पिछली बफा मैंने दिल्ली से गोहाटी तक सफर किया। उस में मैंने यह देखा कि ट्रेन में जो कौन्सिल का इन्तजाम था, वह बिलकुल अच्छा नहीं था। इसी तरह से दिल्ली से कलकत्ता के लिये जो हाबका एक्सप्रेस है, उस में भी कौन्सिल का इन्तजाम अच्छा नहीं है। मैंने देखा कि आप के बेयरे लोग खानेपाने को जो बिल देते हैं—वह गलत शान है, किसी ने अवर बेजिटेरियन खाना खाया है तो उस को नाम-बेजिटेरियन खाने का बिल दे देते हैं, जैसे किसी ने अच्छा नहीं खाया है तो उस को बिल दूसरा